न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 255/2022

अलीम पुत्र मोहिब व अन्य
बनाम
गंगाराम पुत्र जैरामराम वगैरा

दिनांक 10.12.2025

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी गड़रारोड़ (धाडमेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन संख्या 58/2021 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 11–प्रार्थी–गंगाराम वगैरा ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील गडरारोड स्थित मौजा उत्तरी डेर के खसरा नम्बर 279 रकबा 15.7584 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि की पुलिस इमदाद नेखमबंदी करवाने हेतु आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–विप्रार्थी सं0 7 से 13 ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 1 से 11 के अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थी तहसील गड़रारोड के ग्राम उत्तरीडेर के ख0नं0 279 का खातेदार है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतो के मध्य की सेढे आंधियों की वजह से विखर जाने से कब्जाकाश्त को लेकर विवाद रहता है। अतः वादग्रस्त खसरान की मय पुलिस इमदाद पक्की नेखमबंदी कराने का आदेश फरमावे। आलौच्य प्रकरण में अपीलार्थी व अन्य प्रत्यर्थीगण को जारी प्रथम पेशी के रजिस्टर्ड नोटिस, लेने से इन्कार के साथ लिफाफे वापिस आ गये, जिसे तामिल प्रर्याप्त मानते हुए, उनकी अनुपस्थिति में बिना सुनवाई का अवसर दिये, एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। सभी पक्षकारों के लिफाफों पर नोटिस लेने से इन्कार की रिपोर्ट संदेहजनक है, जिस पर गौर नही किया गया। अपीलाधीन आदेश बिना सीमाज्ञान रिपोर्ट व तहसीलदार की रिपोर्ट के प्रशासनिक रूप में पारित किया गया है, प्रकरण में धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के प्रावधानों की अनदेखी हुई है। प्रार्थी की जमीन मौके पर कम है, जिसकी पूर्ति वह अपीलांट की भूमि में लगभग 10 बीघा अन्दर घुसकर जरिये नेखमबंदी करवाना चाहता है, जिसका निस्तारण सक्षम न्यायालय में नियमित वाद से संभव है। अतः अपील स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 से 11 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि आलौच्य प्रकरण में विप्रार्थीगण सं0 1 से 16 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दिनांक 4.1.22 को प्रेषित किए गये थे, जो लेने से इन्कार से वापस दिनांक 17.1.22 को प्राप्त हुए। विप्रार्थी बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामिल व लम्बे समय से अनुपस्थित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई, जो विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज कर अपीलाधीन आदेश को यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 21 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में निर्विवाद सीमाज्ञान रिपोर्ट एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अभाव है, जो कि विधि अनुसार आज्ञापक है। इसके अलावा अपीलांट का यह कथन है कि आलौच्य प्रकरण में विप्रार्थीगण को प्रेषित सभी रजिस्टर्ड सम्मन लेने से इन्कार की रिपोर्ट के, बंद लिफाफे पुनः प्राप्त हुए, जो संदेहजनक है, बल्कि इससे उन्हें सुनवाई का अवसर नही मिला। अपीलांट हस्तगत अपील के माध्यम से इस मामले में सुनवाई चाहता है। अतः उपरोक्त समग्र परिप्रेक्ष्य प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर, उपखण्ड अधिकारी गडरारोड (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन सं0 58/2021 बअनवान गंगाराम वगैरह बनाम मूलाराम वगैरह में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.04.2022 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर, सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 10-12-25 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

10/12/25

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर